




निगरानी प्रकरण क्र. -----

पेपर दिनांक:-



रा. रा. माननोय राजस्व मण्डल

ग्यालियर केम्प हन्दाँर

PBR/निगरानी/बडवानी/श्रु.श/2017/4018

पनालाल पिता नाराण जाति बारेला

निवासी ग्राम मत्ली तह. राजपुर जिला बडवानी

====प्राथी

विस्द

नाराण पिता रजान जाति बारेला

निवासी ग्राम मत्ली तह. राजपुर जिला बडवानी

====प्रतिप्राथी

पुनः सत्मे
अभिमानक दौ
केम्प हन्दाँर
24/9/17
Jm

विषय:- धारा 50 म. प्र. श्रु. रा. सहिता के तहत

श्रीमान नायब तह सीलदार महादय राजपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक

89/अ-27/2014/17 मे पासि आदेश दिनांक 21/9/2017 का निरस्त करने
एव. निगरानी स्वीकार कि ये जिन बाबत ।

24.10.2017

आवेदक की ओर ले प्रस्तुतकाम
एन.के.० सलेंगी अभिभाषक
उपाध्यक्ष। ग्राह्यता पा. सुना गया।
उनका केषक सूची तर्क है कि
नायब तहसीलदार डा.त. जवाब
दावा प्रस्तुत करने का अवसर

के.ए.ड.एम.
24.10.17

समाप्त कर दिया गया है। अतः
शायद में नायब तहसीलदार को
निर्देशित किया जाता है कि
आवेदक को जवाब दावा प्रस्तुत करने
का एक अवसर उपलब्ध कराया
जाये।

२/ उस प्रकार में कोई कामवाही
शेष नहीं होने से समाप्त किया
जाता है।

12/1
अध्यक्ष

[Handwritten signature]